

## ग्यारहवीं अनुसूची

### [धारा 147(ख) देखिए]

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, उपशीर्ष सं० 2108.10, 2201.20, 2202.20, 4011.90, 4012.11, 4012.19, 4012.90, 4013.90, 5402.20, 5402.32, 5402.42, 5402.43, 5402.52, 5402.62, 8415.00, 8702.10, 8703.90, 8704.90, 8706.21, 8706.39 और 8706.49 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "8%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।